

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं.5(01)चिस्वा/2/2023

जयपुर, दिनांक:

आदेश

डॉ अंजना रायजादा, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी), राजकीय जिला चिकित्सालय, रामपुरा, कोटा को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम-50(1) के अन्तर्गत दिनांक 04.09.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ अंजना रायजादा (जन्मतिथि 18.09.1962) के विरुद्ध :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशक(जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0 जयपुर।
- 2-संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा।
- 3-अधीक्षक, राजकीय जिला चिकित्सालय, रामपुरा, कोटा।
- 4-डॉ अंजना रायजादा, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी), राजकीय जिला चिकित्सालय, रामपुरा, कोटा।
- 5-रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर कक्ष।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.09.04 16:11:12 IST
Reason: Approved